

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक: प.22(4)न्याय/2015

जयपुर, दिनांक 4.1.17

::आदेश::

राजस्थान विधि सेवा संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारियों की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर लेने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

संयुक्त विधि परामर्शी

क्र.सं.	नाम सर्व श्री/श्रीमती	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति दिनांक
1.	शिवराम सिंह सिहाग	10.08.1957	31.08.2017
2.	नरपतसिंह शेखावत	08.04.1957	30.04.2017
3.	सुनील कुमार शर्मा	17.09.1957	30.09.2017
4.	उपेन्द्र पाल सिंह	23.09.1957	30.09.2017
5.	सन्तलाल शर्मा	01.04.1958	31.03.2018

उप विधि परामर्शी

क्र.सं.	नाम सर्व श्री/श्रीमती	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति दिनांक
1.	रामबाबू गुप्ता	01.06.1957	31.05.2017
2.	पुरुषोत्तम लाल शर्मा	15.06.1957	30.06.2017
3.	प्रभुसिंह	10.08.1957	31.08.2017
4.	रामधन लाल मीना	15.07.1957	31.07.2017
5.	राजेश मोहन माथुर	01.09.1957	31.08.2017
6.	बदनलाल	03.01.1958	31.01.2018

सहायक विधि परामर्शी

क्र.सं.	नाम सर्व श्री/श्रीमती	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति दिनांक
1.	चमन प्रकाश सोनी	01.06.1957	31.05.2017

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त अधिकारियों के विरुद्ध आज तक -

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-19 अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(डॉ. कैलाश चन्द्र अटवासिया)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, पेंशन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संबंधित कर्मचारी/अधिकारी।
3. संबंधित विभाग/रक्षित पत्रावली

संयुक्त शासन सचिव